रुचि की अभिव्यक्ति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित लोगों की सहायता (स्माइल) के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह-आश्रय गृह चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/समुदाय आधारित संगठनों से "रुचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करता है

1. पृष्ठभूमि

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और इस समुदाय के हितों की रक्षा हेतु, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए गरिमा गृह स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 8 (4) में कहा गया है कि समुचित सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कदम उठाएगी। गरिमा गृह की स्थापना इस अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होगी, जिसमें कहा गया है कि जब भी कोई माता-पिता या उसके परिवार का निकटतम सदस्य ट्रांसजेंडर की देखभाल करने में असमर्थ हो, तो सक्षम न्यायालय आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र में रखने का निर्देश देगा।

ऐसे आश्रय गृह यह सुनिश्चित करेंगे कि इस समुदाय के पास एक सुरक्षित वातावरण, आजीविका के अवसर और समाज में पुन: एकीकृत होने का साधन हो।

2. लक्ष्य और उद्देश्य

i. सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन की सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करने की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना। इसके अलावा, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के क्षमता-निर्माण/कौशल विकास के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

ii. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने परिवार/समाज में पुन: एकीकरण के लिए कदम उठाने में मदद करने के लिए कानूनी देखभाल और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए संपर्क करना।

iii. आजीविका कौशल विकसित करने और उसमें वृद्धि करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक वैकल्पिक आजीविका उत्पन्न करना।

iv. गरिमा गृह में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि प्राप्त करने में सहायता करना।

v. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करके उनकी समग्र जीवन स्थितियों में सुधार करना।

3. गरिमा गृह को पूरे देश में स्थापित किया जाएगा। इच्छुक संगठन, अर्थात सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1860 का XXI) या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के किसी संगत अधिनियम के तहत या साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ समितियों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी राज्य के कानून के तहत पंजीकृत सोसायटी **या** पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट **या** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित कंपनी, गरिमा गृह की परियोजना के लिए आवेदन कर सकती है।

4. आवेदन जमा करना

इच्छुक संगठनों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल (https://grants- msje.gov.in/ngo-login) पर सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पोर्टल के माध्यम से रात 11:59 बजे तक .... 2024 को/अथवा उससे पहले जमा करना होगा।

5. मंत्रालय, यदि आवश्यक हो, तो कुछ या सभी आवेदकों को अधिसूचित तिथि, समय और स्थान पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ऐसी प्रस्तुतियों का उद्देश्य आवेदक संगठनों को प्रस्ताव के अपने दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और गुणवत्ता को प्रस्तुत करने की अनुमति देना होगा।

6. संलग्न दस्तावेज

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है:

i. आशय का नमूना पत्र **(अनुबंध-I)**

ii. इस आशय का वचन देना कि कंपनी को किसी भी रूप में सरकारी एजेंसियों द्वारा भारत या विदेश में काली सूची में नहीं डाला गया है। **(अनुबंध-II)**

iii. विगत 2 वित्त वर्षों में कारोबार का टर्नओवर **(अनुबंध- III)**

iv. संगठनात्मक विवरण **(अनुबंध- IV)**

v. संगठन के प्रोफाइल का संक्षिप्त विवरण

vi. नवीनतम भरे हुए रिटर्न/ट्रस्ट डीड के साथ सोसाइटी के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल

vii. संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य

viii. पिछले वर्ष के लिए संगठन की गतिविधि रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट

ix. आयकर पंजीकरण और छूट प्रमाण पत्र, यदि कोई हो

x. बोर्ड/शासी निकाय के सदस्यों की सूची तथा संपर्क विवरण और व्यवसाय

नोट:

(i) आवेदक संगठनों को ट्रांसजेंडर कल्याण के क्षेत्र में पहले से ही कम से कम 2 वर्ष के अनुभव के साथ कार्यरत होना चाहिए।

(ii) आवेदक संगठन एक पंजीकृत सोसाइटी/कंपनी/न्यास होना चाहिए।

(iii) इस कार्यकलाप के लिए पहले से ही किसी अन्य स्कीम अथवा अन्य स्त्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं को इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए अथवा वे इस स्कीम के तहत सहायता खो सकती हैं।

(iv) गरिमा गृह के संचालन और उसे मेनटेन करने वाले संगठन को वित्तीय सहायता स्माइल स्कीम के जारी रहने अथवा सक्षम प्राधिकारी के आदेश तथा इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इसके संतोषजनक कार्य संचालन के अध्यधीन प्रदान की जाएगी।

7. गरिमा गृह की संरचना

आश्रय गृह का प्रबंधन और कार्य निष्पादन परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) द्वारा किया जाएगा। गरिमा गृह चलाने वाले संगठन का सचिव ट्रांसजेंडर समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए जो गरिमा गृह का परियोजना निदेशक होगा। समिति से हर महीने बैठक करने और बैठक के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड करना अपेक्षित होगा। यह सुनिश्चित करना परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी है कि पीएमसी की बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित हों, पीएमसी के विचार-विमर्श का कार्यवृत्त बनाया जाए और इसे मंत्रालय के साथ साझा किया जाए। गरिमा गृह के प्रदर्शन को देखने के दौरान पीएमसी बैठकों के इन कार्यवृत्तों और कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखा जाएगा। पीएमसी की संरचना निम्नानुसार होगी:

परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी)		
1	जिला मजिस्ट्रेट या समकक्ष	अध्यक्ष
2	एनजीओ/सीबीओ के प्रतिनिधि*	सदस्य
3	डॉक्टर*	सदस्य
4	ट्रांसजेंडर कल्याण और मुद्दों के विशेषज्ञ*	सदस्य
5	गरिमा गृह के अध्यक्ष/सचिव (परियोजना निदेशक)	सदस्य सचिव

*जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जाएगा

iv. कर्मचारियों की स्थिति

25 निवासियों वाले गरिमा गृह के संचालन के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए

क्र.सं.	**स्टाफ की स्थिति**	**संख्या**
1	परियोजना निदेशक	1
2	परियोजना प्रबंधक	1
3	लेखाकार सहायक	1
4	ब्रिज कोर्स समन्वयक	1
5	सलाहकार	1
6	बावरची	1
8	मल्टी टास्क वर्कर	1
9	स्वीपर	1
10	चौकीदार	3
	कुल	**11**

8. **अवसंरचना**

क. **वास्तविक मानक**

क. गरिमा गृह यथोचित शांत और आवासीय इलाके में स्थित होना चाहिए, ताकि निवासियों को परेशान करने के लिए कोई शरारती तत्व न हों।

ख. केंद्र आसानी से सुलभ होना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से जुड़ा होना चाहिए।

ग. केंद्र को ठीक से हवादार, अच्छी तरह से प्रकाशित और स्वच्छ तरीके से बनाए रखा जाना चाहिए।

घ. निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ड़. पूर्ण पते के साथ घर का नाम और जिस स्कीम के तहत सहायता दी जा रही है उसे प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

च. स्थान की आवश्यकताएं: गरिमा गृह में, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्रति निवासी न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए।

छ. सभी अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए रोगियों के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए स्थान प्रदान किया जाना चाहिए और आसान पुनर्प्राप्ति की प्रणाली होनी चाहिए।

ज. उपस्थिति के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए।

झ. सीसीटीवी को वेबसाइट/गरिमा गृह पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए।

ट्रांसजेंडर आश्रय गृह के लिए बिल्ट अप और नॉन बिल्ट अप क्षेत्र (लगभग)		
व्यक्ति के लिए कमरे या डोरमिटरी	25 व्यक्ति के लिए आवश्यक क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति 50 वर्ग फुट	न्यूनतम 1250 वर्गफुट
चिकित्सा सह परामर्श कक्ष		200 वर्गफुट
मनोरंजन स्थल		500 वर्गफुट
स्टॉक रूम		100 वर्गफुट
बाथरूम		200 वर्गफुट
शौचालय		200 वर्गफुट
कार्यालय कक्ष		150 वर्गफुट
स्टाफ रूम		100 वर्गफुट
कार्यवाहक सह ब्रिज कोर्स समन्वयक		200 वर्गफुट
सामाजिक सुरक्षा कार्यालय		100 वर्गफुट
	कुल बिल्ट अप स्थान	3000 वर्गफुट

9. **मूल्यांकन/चयन प्रक्रिया**

संगठनों को निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर 100 में से अंक दिए जाएंगे, और केवल 70 से अधिक अंकों वाले संगठनों के बारे में मंजूरी के लिए कार्यक्रम अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा विचार किया जाएगा।

क. <u>संगठन की क्षमता</u>

क्र.सं.	मापदंड	अंक			
		5	**10**	**15**	**20**
1	ट्रांसजेंडर कल्याण के क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव है	2	3-4	5-6	>6
2	संगठन के आउटरीच/सामाजिक कार्यकर्ता जो ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ काम कर रहे हैं	2	3	4	>4
3	ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए राज्य सरकार/केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास आदि) के साथ अभिसरण	1 स्कीम	2-4 स्कीमें	5-7 स्कीमें	>7 स्कीमें
4	अब तक स्वरोजगार, नौकरी के माध्यम से पुनर्वासित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या (जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय की कुल अनुमानित संख्या में से)	0-25	25-50	50-75	>75
5	ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए आपके संगठन को प्राप्त पुरस्कार/प्रशंसा	ब्लॉक स्तरीय अवार्ड	जिला स्तरीय पुरस्कार	राज्य स्तरीय पुरस्कार	राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार

परियोजना की क्षमता

क्र.सं	मापदंड	अंक			
		5	**10**	**15**	**20**
1	उन जिलों की संख्या जहां एनजीओ ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए काम कर रहा हैं	1	2-5	6-10	>10
2	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यनीति	पीएसी द्वारा सम्मानित किया जाएगा			
3	□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□/□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ जिनकी जिम्मेदारी ली गई है	<5	6-15	16-30	>30
4	केंद्र सरकार की अपेक्षित सहायता: (परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में)	100%	75%	50%	25%

9. आवेदन जमा करना

अनुरोध है कि .... **2024** को या उससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ई-अनुवाद पोर्टल पर सहायक दस्तावेजों के साथ उप-योजना को लागू करने की इच्छा और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

10. स्पष्टीकरण

इस दस्तावेज में निहित किसी बात के बावजूद, मंत्रालय किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुरोध/प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने, या ईओआई प्रक्रिया को रद्द करने या सभी अनुरोधों/प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। शॉर्टलिस्ट किए गए एनजीओ/सीबीओ को दिए गए नोटिस पर एक प्रस्तुति देने के लिए भी कहा जा सकता है। मंत्रालय आवेदकों के साथ परामर्श के बाद या अन्यथा किसी भी समय कार्य के दायरे में किसी अन्य मद को शामिल करने का अधिकार रखता है।

आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है यदि:

- निर्धारित प्रपत्र में नहीं है और सभी आवश्यक विवरण शामिल नहीं हैं.
- डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं हो।
- नियत तारीख और समय की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ हो।

आरएफपी से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, आप श्री अंकित श्रीवास्तव, अवर सचिव (ईमेल: ankit.srivastava@nic.in) और श्री मयंक भारद्वाज, राष्ट्रीय समन्वयक (ईमेल: mayank.b@gov.in) से संपर्क कर सकते हैं।

अनुबंध-I

आशय का नमूना पत्र
[आवेदक के लेटर हेड पर]

(तिथि लिखें)

सेवा में

श्री अंकित श्रीवास्तव,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

कमरा सं. 401, ए विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001

संदर्भ: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए "गरिमा गृह" आश्रय घरों के लिए रुचि की अभिव्यक्ति सह प्रस्ताव।

महोदय/महोदया,

हम (गैर-सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संगठन का नाम) की ओर से और इसके द्वारा प्रदान की गई सभी योग्यता आवश्यकताओं और जानकारी की समीक्षा करने और पूरी तरह से समझने के बाद "गरिमा गृह" के लिए रुचि की अभिव्यक्ति सह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। रूचि की अभिव्यक्ति की इंक्वायरी की आवश्यकताओं के अनुसार विवरण आपके विचार के लिए अपलोड किए गए हैं।

रूचि की अभिव्यक्ति में दी गई जानकारी और विवरण सही हैं और इसमें निहित किसी भी गलत व्याख्या से हमारे आवेदन को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

यदि हमारी रूचि की अभिव्यक्ति स्वीकार की जाती है, तो हम तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन और क्षेत्र सत्यापन के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए हम सहमत हैं।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम और पदनाम)
(आवेदक संगठन का नाम और पूरा पता)

अनुबंध-II

वचनबद्धता (एनजीओ/सीबीओ के लेटरहेड पर)

मैं /हम______________________________________एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, न तो एनजीओ / सीबीओ और न ही इसके किसी भी कार्यरत कर्मचारी किसी भी अनुबंध पर प्रदर्शन करने में विफल रहे हैं या किसी भी परियोजना या अनुबंध से निष्कासित किए गए हैं या हमारी ओर से उल्लंघन के लिए कोई अनुबंध समाप्त किया गया है।

हमें भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार/सरकारी एजेंसी, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय या किसी निचले न्यायालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के भीतर प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है, साथ ही:

i. हमारे पास प्रापण संस्था द्वारा जारी किए गए आवश्यक पेशेवर, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय संसाधन और अपेक्षित क्षमता है।

ii. हमारा एक बेदाग रिकॉर्ड रहा है और किसी भी राज्य / केंद्र सरकार / पीएसयू / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनिश्चित काल तक या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

iii. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ कोई पिछला उल्लंघन नहीं किया है।

iv. किसी अन्य प्रापण संस्था द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

v. हमारा संगठन रिसीवरशिप में दिवालिया नहीं है, ना ही दिवालिया हो रहा है या बंद हो रहा है, इसके मामलों को न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित नहीं किया गया है, इसकी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित नहीं किया गया है और पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए कानूनी कार्यवाही के अध्यधीन नहीं है।

vi. हमारे निदेशकों और अधिकारियों को उनके पेशेवर आचरण से संबंधित किसी भी आपराधिक अपराध के लिए या प्रापण प्रक्रिया शुरू होने से पहले तीन साल की अवधि के भीतर प्रापण अनुबंध करने के लिए उनकी योग्यता के अनुसार गलत विवरण या गलत अभ्यावेदन के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, या अन्यथा निषेध कार्यवाही के अनुसार अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध-III

टर्नओवर के संबंध में वित्तीय विवरण (लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार) (लाख में)

कृपया पिछले 3 (तीन) लगातार वर्षों के वार्षिक कारोबार के लिए विवरण प्रदान करें

क्र.सं.	संगठन का नाम	वित्तीय वर्ष 1	वित्तीय वर्ष 2	वित्तीय वर्ष 3
		टर्नओवर	टर्नओवर	टर्नओवर

(**नोट:** उपरोक्त विवरण निम्नानुसार एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण पैनलबद्धिकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्था के लेखा परीक्षित लेखों (audited books of accounts) के अनुसार टर्नओवर के सही और ठीक विवरण को दर्शाता है!

चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर ....

दिनांक ....
स्थान ....
कार्यालय की मुहर

आवेदक का प्राधिकृत प्रतिनिधि (नाम) --------------------------------
(हस्ताक्षर) --------------

(पैनलबद्धिकरण करने के लिए आवेदन करने वाली संस्था का नाम) वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करें
कार्यालय की मुहर:
दिनांक
....
.
स्थान................
....

अनुबंध-IV

संगठनात्मक प्रोफ़ाइल

(अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे गए आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों को चल रही परियोजनाओं के मामले में संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। नए मामलों के लिए सभी दस्तावेजों को या तो नोटरीकृत किया जाना चाहिए या राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनकी मुहर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए)

स्कीम का नाम	आजीविका और उद्यम के लिए लाभवंचित व्यक्तियों की सहायता
संगठन का नाम	
उस राज्य का नाम जहां परियोजना प्रस्तावित है	
परियोजना का पूरा स्थान	
क्या आपकी कोई वेबसाइट है	हां/नहीं
यदि हाँ, तो कृपया वेबसाइट URL प्रदान करें	

संगठन विवरण

एनजीओ का नाम जैसा कि (नीति आयोग पोर्टल) में दर्ज है:	
एनजीओ का यूनिक आईडी जैसा कि (नीति आयोग पोर्टल) में दर्ज किया गया है:	
संगठन के पंजीकृत कार्यालय का पता:	
शहर/कस्बा/गाँव:	
जिला:	
राज्य:	
मोबाइल नं.:	

दूरभाष:	
ईमेल पता:	
संगठनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य	
एनजीओ/सीबीओ के प्रमुख का विवरण और संपर्क विवरण	संपर्क व्यक्ति का नाम: पदनाम: फोन नंबर: ईमेल आईडी:
स्थापना की तिथि	
संगठन का भौगोलिक कवरेज (यदि आपका संगठन एक से अधिक जिलों में काम कर रहा है, तो कृपया उल्लेख करें)	
विशेषज्ञता का मुख्य क्षेत्र	
पेशेवर पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या (कोर और प्रोजेक्ट)	**प्रबंधन कर्मचारियों की संख्या:** **कार्यक्रम कर्मचारियों की संख्या:** **सहायक कर्मचारियों की संख्या:** **स्वयंसेवकों की संख्या:**
वर्ग मीटर में कार्यालय की जगह और स्वामित्व की स्थिति	
ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ काम करने/जुड़ने का कुल कार्य अनुभव	
भारत सरकार/राज्य सरकार/अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए ऐसी विशेष परियोजनाओं को पूरा करने का विवरण, यदि कोई हो	

संगठनात्मक क्षमता

क्र.सं.	स्टाफ सदस्य का नाम	लिंग	पद/पदनाम	कुल कार्य अनुभव (वर्षों में)

संगठन के दो प्रमुख पदाधिकारियों (जैसे सचिव, सभापति, अध्यक्ष आदि) के नाम, शैक्षिक योग्यता, पता और संपर्क विवरण।

क्र.सं.	नाम	शैक्षणिक योग्यता	पता	फोन नं.	ईमेल आईडी	पद

अधिनियम का विवरण जिसके तहत संगठन पंजीकृत है:

अधिनियम का नाम:	

पंजीकरण संख्या:	
संगठन के पंजीकरण की तिथि:	
पंजीकरण (यदि कोई हो) की मान्यता कब तक है:	
पैन पंजीकरण संख्या और तिथि:	
80G/एफसीआरए पंजीकरण का विवरण (यदि उपलब्ध हो)	

पिछले 5 वर्षों में ट्रांसजेंडर कल्याण के संबंध में संगठन की चल रही परियोजनाओं और उनका परिणाम/उपलब्धि, यदि कोई हो, का विवरण

किए गए कार्य की प्रकृति	किए गए कार्य की अवधि	लाभार्थियों का कवरेज	परिणाम/उत्कृष्ट उपलब्धि और पुरस्कार, यदि कोई हो	धन का स्रोत	निधि की राशि (रुपए में)

कृपया प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज जमा करें

संगठन और प्रस्तावित परियोजना के प्रोफाइल का संक्षिप्त विवरण तथा व्यापक कार्यान्वयन अनुसूची।

अनुबंध V

गरिमा गृह का बजट

क्र. सं.	**विवरण**	**राशि रुपये में**
1	**I. गैर आवर्ती** यह फर्नीचर, डाइनिंग टेबल और कुर्सियां, 25 बिस्तर, गद्दे, तकिया और तकिया कवर, बक्से और प्रत्येक निवासी के लिए स्वागत किट खरीदने के लिए एकमुश्त लागत है। यह केवल नए गरिमा गृह पर एकमुश्त लागत के रूप में लागू होगा। खरीद प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए तथा दस्तावेज परियोजना कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए।	1,50,000/- रुपये
2	कार्यालय के लिए कंप्यूटर सहायक उपकरण	50,000/- रुपये
3	गरिमा गृह के लिए उपकरण: इसका उपयोग ऑडियो विजुअल उपकरणों (जैसे सीसीटीवी, टीवी, इन्वर्टर, डीवीडी प्लेयर), इन्वर्टर, पंखा, टीवी ऑडियो सिस्टम, गरिमा गृह के लिए दीवार घड़ी की खरीद के लिए किया जाएगा।	1,30,000/- रुपये
4	रसोई का सामान: रसोई के सामान में गैस, सिलेंडर, सुरक्षित पेयजल, फ्रिज, वाटरकूलर, खाना पकाने के बर्तन, प्लेटें और गिलास आदि शामिल होंगे।	1,00,000/- रुपये
5	सुरक्षा उपकरण	22,500/- रुपये
6	कौशल विकास से संबंधित उपकरण की अनुमानित राशि का उपयोग स्थानीय रूप से लोकप्रिय व्यवसायों के उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकता है।	50,000/- रुपये
	गैर-आवर्ती बजट के अंतर्गत कुल लागत	5,02,500/- रुपये
	II. आवर्ती	
7	भवन का किराया प्रति माह (40,000 रुपये x12)	4,80,000/- रुपये
8	भोजन में नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, दो समय की चाय शामिल है (100 रुपये x25x12)	9,00,000/- रुपये
9	परियोजना प्रबंधक (20,000 रुपये x12)	2,40,000/- रुपये
10	लेखा सहायक (15000 रुपये x12)	1,80,000/- रुपये
11	पार्ट टाइम डॉक्टर (15,000 रुपये x12)	1,80,000/- रुपये
12	काउंसलर (15000 रुपये x12)	1,80,000/- रुपये
13	मल्टी टास्क स्टाफ (10,000 रुपये x12)	1,20,000/- रुपये
14	ब्रिज कोर्स समन्वयक (15,000x12)	1,80,000/- रुपये
15	रसोइया (12000 रुपये x12)	1,44,000/- रुपये

16	सफ़ाईकर्मी (8,000 रुपये x12)(पार्टटाइम)	96,000/- रुपये
17	चौकीदार (10,000 रुपये x12x3)	3,60,000/- रुपये
18	प्रशासनिक व्यय (7000 रुपये x12)	84,000/- रुपये
	आवर्ती बजट के अंतर्गत कुल लागत	31,44,000/- रुपये
	कुल योग I+II (5,02,500 रुपये + 31,44,000 रुपये)	**36,46,500/- रुपये**

नोट: गरिमा गृह की स्थापना और संचालन से संबंधित व्यय भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए।